भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2884
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करना

†2884. प्रो. सौगत रायः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में शहरी परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) स्वीकृत की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयू आरएम) के अंतर्गत प्रदत्त बसों को विभिन्न राज्य परिवहन निगमों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केंद्र सरकार के पास राज्यों को दिए गए इन वाहनों के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (2006), मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की हैं, जो देश में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर देने के साथ सर्वाधिक सबसे स्थायी और व्यवहार्य ढंग से शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के संबंध में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।

भारत सरकार ने 16 अगस्त, 2023 को "पीएम-ई-बस सेवा" नामक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों में सिविल और बिहाइंड द मीटर (बीटीएम) बिजली सहित संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसमें भाग लेने वाले शहरों को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इन शहरों का चयन 2011 की जनगणना के अनुसार पात्रता मानदंडों के आधार पर पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। भारत सरकार मेट्रो परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले दस वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न एसपीवी को 1,66,061.05 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न शहरों में लगभग 993 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू हो गई हैं और 997 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं।

(ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 77 शहरों में 5738 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी है। स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों का ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) इंडिया योजना के पहले चरण के तहत देश के विभिन्न शहरों में 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों की तैनाती के लिए प्रोत्साहन मंजूर किए गए हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत विभिन्न शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की संस्थाओं को शहर के भीतर और शहरों के बीच संचालन के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए प्रोत्साहन मंजूर किए गए हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को 29 सितंबर 2024 को एमएचआई द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह दो साल की योजना है जिसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है। कुल परिव्यय में से 4,391 करोड़ रुपये 14028 ई-बसों की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए रखे गए हैं। ई-बसों के लिए सहायता राज्य/शहर परिवहन उपक्रम निगमों (एसटीयू) के माध्यम से परिचालन व्यय (ओपीईएक्स) मॉडल या सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) हेतु प्रदान की जाएगी।

एमएचआई द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से

अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जेएनएनयूआरएम योजना के बस वित्तपोषण घटकों के अंतर्गत केवल बसों की खरीद के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की थी। यह योजना 31.3.2017 को समाप्त हो गई।

(घ): शहरी नियोजन राज्य का विषय है। इसलिए, शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना बनाने, आरंभ करने और विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं, जिसमें शहरी बस संचालन की निगरानी भी शामिल है।

*****

अनुलग्नक-I

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत स्वीकृत बसों का ब्यौरा

क्र. सं०	राज्य	नाम: शहरी समूह/शहर	स्वीकृत बसें
1	असम	गुवाहाटी	100
2	बिहार	पटना	150
3		भागलपुर	50
4		दरभंगा	50
5		गया	50
6		मुज़फ्फरपुर	50
7		पूर्णिया	50
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़	100
9	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर	50
10		रायपुर	100
11		बिलासपुर	50
12		कोरबा	40
13	गुजरात	राजकोट	100
14		वडोदरा	100
15		भावनगर	100
16		जामनगर	50
17		जूनागढ़	25
18		गांधीनगर	50
19	हरियाणा	फरीदाबाद	100
20		गुरूग्राम	100
21		हिसार	50
22		करनाल	50
23		पानीपत	50
24		रोहतक	50
25		यमुनानगर	50
26	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	100
27		जम्मू	100
28	लद्दाख	लेह	15
29	मध्य प्रदेश	इंदौर	150
30		भोपाल	100
31		ग्वालियर	70
32		जबलपुर	100
33		उज्जैन	100
34		सागर	32
35	महाराष्ट्र	नागपुर	150

36		औरंगाबाद	100
37		कल्याण डोंबिवली	100
38		नासिक	50
39		ठाणे	100
40		वसई विरार शहर	100
41		भिवंडी	100
42		कोल्हापुर	100
43		मालेगांव	26
44		मीरा भयंदर	100
45		सांगली	50
46		सोलापुर	100
47		उल्हासनगर	100
48		अहमदनगर	40
49		अकोला	50
50		चंद्रपुर	50
51		धुले	28
52		इच्छलकरंजी	25
53		जलगांव	50
54		लातूर	50
55		परभणी	40
56		अमरावती	50
57	मेघालय	शिलौंग	50
58	ओडिशा	भुवनेश्वर	100
59		कटक	100
60		राउरकेला	100
61		ब्रह्मपुत्र नगर	50
62		संबलपुर	50
63	पुडुचेरी	पुडुचेरी	75
64	पंजाब	अमृतसर	100
65		लुधियाना	100
66		जालंधर	97
67		पटियाला	50
68	राजस्थान	जयपुर	150
69		जोधपुर	100
70		कोटा	100
71		अजमेर	100
72		बीकानेर	75
73		अलवर	50

74		भीलवाड़ा	50
75		उदयपुर	50
76	उत्तराखंड	देहरादून	100
77		हरिद्वार	50
कुल			5738

अनुलग्नक-।।

फेम इंडिया योजना चरण-। के अंतर्गत स्वीकृत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों का विवरण

राज्य/ शहर	स्वीकृत बसों की संख्या
एमपी/इंदौर	40
उत्तर प्रदेश/लखनऊ	40
असम/गुवाहाटी	15
जम्मू और कश्मीर	40
पश्चिम बंगाल	80
बेस्ट मुंबई	40
हैदराबाद	40
हिमाचल प्रदेश	75
नवी मुंबई	30
एमएमआरडी	25 (हाइब्रिड)
कुल	425

अनुलग्नक-III

फेम इंडिया योजना चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों का विवरण

राज्य/ शहर	**स्वीकृत बसों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	100
बिहार	25
दादरा एवं नगर हवेली	25
दिल्ली	1321
तेलंगाना	300
गुजरात	800
कर्नाटक	1121
महाराष्ट्र	830
ओडिशा	50
उत्तराखंड	30
उत्तर प्रदेश	600
पश्चिम बंगाल	1230
गोवा	150
चंडीगढ़	80
जम्मू और कश्मीर	200
कुल	6862